

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

धारा अन्तर्गत - 136

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ़ (राज.)  
(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - .....दोवनी.....  
प्र.सं. 357/25 ..... दापर दिनांक. 02/10/25 ..... निर्णय दिनांक 02/10/25



क्र.स..	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट		
1	दोवनी	156	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक/2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं राजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है। वर्तमान प्रविष्टी		शुद्ध प्रविष्टी
			श्री मेवालाल पिता नारु भील सा. बाबरियाखेडा बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा धमाना	श्री मेवालाल पिता नारु भील सा. बाबरियाखेडा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा धमाना	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश तहसालीदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम ---दोवनी----- प.ह.----- ---दोवनी----- खातासं .....156..... में वर्तमान प्रविष्ट बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			हस्ताक्षर पटवारी पटवारी 02/10/25 तह.क.प.स. चित्तौड़गढ़	हस्ताक्षर गिरदावर गिरदावर 02-10-25	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार 02/10/25
					पदेन सहायक कलक्टर कपासन सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौड़गढ़